मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 5733-जी0 एस0-1-77/40529 दिनांक 29-12-77 की प्रति ।

विषय :—सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति की विवरणी प्रस्तुत करने के बारे में ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली 1966 के नियम 18 की ओर दिलाऊं जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी सेवा या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्तरालों, पर अपनी देन दारियों और लेनदारियों की एक विवरणी राज्य सरकार द्वारा नियत फार्म में देगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 593-6 जी0 एस0-1-76/5706, दिनांक 11-3-1976 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी चल, अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति का ब्यौरा देने वाली विवरणियों की भली प्रकार से जांच उपरान्त ही उन्हें सम्बन्धित कर्मचारियों की फाईलों पर लगाया जाए।

2. काफी समय से यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि प्रसंगाधीन विवरणियों को कितने अन्तरालों पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए । इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी स्वयं वित्तीय वर्ष के अन्त में ऐसी विवरणी अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा ।

3. कृपया इन हिदायतों को आपके अधीन काम कर रहे सभी कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाए तथा इन की दृढ़ता से पालना की जाए ।

4. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय
हस्ता/-

उप-सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति, सभी वित्तायुक्तों तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचना तथा ऐसी ही कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।